कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून - 248195

सं. : AMG-II/शहरी विकास/प्रतिवेदन संख्या- 25/2020-21/

दिनांक : /04/2021

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,

नगर पंचायत, नौगाँव,

जनपद – उत्तरकाशी।

विषय : नगर पंचायत नौगाँव, जनपद-उत्तरकाशी के वर्ष 04/2014 से 03/2020 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग II (अ) में **शून्य** प्रस्तर तथा भाग-II (ब) में **07** प्रस्तर एवं STAN में **शून्य** प्रस्तर (पृष्ठ संख्या 01 से 19 तक) हैं। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-2 (ब) के सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इस पत्र की प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1. प्रतिवेदन की प्रति।

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप।

भवदीय,

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/AMG-II

सं. :AMG-II/शहरी विकास/प्रतिवेदन संख्या- 25/2020-21/ दिनांक: /04/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड, 31/62 निकट राजपुर रोड़ साईं इंस्टीट्यूट के पास, देहरादून।

2- निदेशक, लेखापरीक्षा (ऑडिट निदेशालय) द्वितीय तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005 ।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/AMG-II

<u>निरीक्षण प्रतिवेदन संख्याः 25/2020-21</u>

निरीक्षण आख्या **कार्यालय, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, नौगांव, जनपद-उत्तरकाशी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए **कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून** की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

<u>भाग-प्रथम</u>

1- **परिचयात्मकः-** इकाई की प्रथम महालेखाकार, लेखापरीक्षा।

1. **<u>इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र</u>**:-

(i) भौगोलिक क्षेत्र: **07.00 वर्ग कि.मी.**

(ii) जनसंख्या: **5174**

(iii) निर्वाचित सदस्यों की संख्या: **07**

(iv) नगर पालिका परिषद द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या: **06 बैठकें**

(v) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या: **शून्य**

(vi) कर्मचारियों की संख्या: **01-नियमित एवं 21 आउटसोर्से**

(vii) नगर पालिका परिषद की संपत्तियाँ: **शून्य**

(viii) नगर पालिका परिषद के अपने प्रोजेक्ट: **कोई नहीं**

(ix) योजनाओं की संख्या: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(xi) वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(xiii) क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया: **हाँ**

नगर पंचायत नौगांव जनपद उत्तरकाशी

वार्षिक आय-व्यय विवरण

2014-15

(धनराशि ₹ में)

क्रम संख्या	योजना/व्यय का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अवशेष
1	13 वां वित्त आयोग	0	0	0	0	0
2	14 वां वित्त आयोग	0	0	0	0	0
3	राज्य वित्त आयोग	0	0	0	0	0
4	अवस्थापना विकास निधि	0	0	0	0	0
5	अवस्थापना सुविधा	0	450000	450000	0	450000
6	स्वच्छ भारत मिशन (व्यक्तिगत शौचालय)	0	0	0	0	0
7	प्रधानमंत्री आवास योजना	0	0	0	0	0
8	पालिका निधि (जमानत सहित)	0	0	0	0	0
	योग	**0**	**0**	**450000**	**0**	**450000**

2015-16

क्रम संख्या	योजना/व्यय का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अवशेष
1	13 वां वित्त आयोग	0	650687	650687	0	650687
2	14 वां वित्त आयोग	0	0	0	0	0
3	राज्य वित्त आयोग	0	447194	447194	0	447194
4	अवस्थापना विकास निधि	0	9322000	9322000	3302800	6019200
5	अवस्थापना सुविधा	450000	0	450000	0	450000
6	स्वच्छ भारत मिशन (व्यक्तिगत शौचालय)	0	62500	62500	0	62500
7	प्रधानमंत्री आवास योजना	0	0	0	0	0
8	पालिका निधि (जमानत सहित)	0	9650	9650	5050	4600
12	चारधाम यात्रा	0	300000	300000	152328	147672
	योग	**450000**	**10792031**	**11242031**	**3460178**	**7781853**

2016-17

क्रम संख्या	योजना/व्यय का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अवशेष
1	13 वां वित्त आयोग	650687	1941280	2591967	2635025	-43058
2	14 वां वित्त आयोग	0	0	0	0	0
3	राज्य वित्त आयोग	447194	1159467	1606661	770358	836303
4	अवस्थापना विकास निधि	6019200	10837000	16856200	4250847	12605353
5	अवस्थापना सुविधा	450000	0	450000	140345	309655
6	स्वच्छ भारत मिशन (व्यक्तिगत शौचालय)	62500	0	62500	0	62500
7	प्रधानमंत्री आवास योजना	0	0	0	0	0
8	पालिका निधि (जमानत सहित)	4600	115680	120280	0	120280
10	दैवीय आपदा	0	91000	91000	0	91000
11	दैवीय आपदा	0	60000	60000	0	60000
12	चारधाम यात्रा	147672	150000	297672	0	297672
	योग	**7781853**	**14354427**	**22136280**	**7796575**	**14339705**

2017-18

क्रम संख्या	योजना/व्यय का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अवशेष
1	13 वां वित्त आयोग*	-43058	0	-43058	0	-43058
2	14 वां वित्त आयोग	0	1342000	1342000	0	1342000
3	राज्य वित्त आयोग	836303	12500000	13336303	0	13336303
4	अवस्थापना विकास निधि	12605353	0	12605353	7431326	5174027
5	अवस्थापना सुविधा	309655	0	309655	0	309655
6	स्वच्छ भारत मिशन	62500	565980	628480	118000	510480
7	प्रधानमंत्री आवास योजना	0	0	0	0	0
8	पालिका निधि (जमानत सहित)	120280	26210	146490	100	146390
10	दैवीय आपदा	91000	0	91000	0	91000
11	दैवीय आपदा	60000	0	60000	0	60000
12	चारधाम यात्रा	297672	150000	447672	0	447672
13	IEC एवं जन जागरूकता	0	72500	72500	16000	56500
	योग	**14339705**	**14656690**	**28923895**	**7565426**	**21430969**

***13वें वित्त आयोग के शेष व्यय की 14 वें वित्त की राशि से पूर्ति की गयी।**

2018-19

क्रम संख्या	योजना/व्यय का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अवशेष
1	13 वां वित्त आयोग	-43058	0	-43058	0	-43058
2	14 वां वित्त आयोग	1342000	3869000	5211000	484014	4726986
3	राज्य वित्त आयोग	13336303	5297000	18633303	3285363	15347940
4	अवस्थापना विकास निधि	5174027	0	5174027	3865934	1308093
5	अवस्थापना सुविधा	309655	0	309655	0	309655
6	स्वच्छ भारत मिशन	510480	630000	1140480	852704	287776
7	प्रधानमंत्री आवास योजना	0	75000	75000	0	75000
8	पालिका निधि (जमानत सहित)	146390	155088	301478	0	301478
10	दैवीय आपदा	91000	0	91000	85023	5977
11	दैवीय आपदा	60000	0	60000	53950	6050
12	चारधाम यात्रा	447672	0	447672	0	447672
13	IEC एवं जन जागरूकता	56500	75000	131500	10250	121250
	योग	**21430969**	**10101088**	**31400557**	**8637238**	**22894819**

2019-20

क्रम संख्या	योजना/व्यय का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अवशेष
1	13 वां वित्त आयोग	-43058	0	-43058	0	-43058
2	14 वां वित्त आयोग	4726986	4834000	9560986	1384182	8176804
3	राज्य वित्त आयोग	15347940	7500000	22847940	17872811	4975129
4	अवस्थापना विकास निधि	1308093	7118000	8426093	1257939	7168154
5	अवस्थापना सुविधा	309655	0	309655	168960	140695
6	स्वच्छ भारत मिशन	287776	860020	1147796	980020	167776
7	प्रधानमंत्री आवास योजना	75000	2304000	2379000	1840000	539000
8	पालिका निधि (जमानत सहित)	301478	672308	973786	0	973786
10	दैवीय आपदा	5977	0	5977	0	5977
11	दैवीय आपदा	6050	0	6050	0	6050
12	चारधाम यात्रा	447672	150000	597672	150000	447672
13	IEC एवं जन जागरूकता	121250	50000	171250	51915	119335
14	पं दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना	0	90000	90000	0	90000
13	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु अनुदान	0	4508500	4508500	0	4508500
	योग	**22894819**	**28086828**	**46211897**	**23705827**	**27275820**

भाग दो (ब)

प्रस्तरः 01 शासकीय कटौतियों की धनराषि रु0 2,60,249 सम्बन्धित प्राप्ति मद में जमा नहीं किया जाना।

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, नवगाॅव के अन्तर्गत अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत सम्पादित किये गये निर्माण कार्यो तथा तथा उसके सापेक्ष किये गये भुगतान से सम्बन्धित अभिलेखों की जाॅच में पाया गया कि 10 निर्माण कार्यो के सापेक्ष भुगतान अनुमोदन पास करते समय विक्रीकर, आयकर एवं रायल्टी की कटौती दशायी गयी है परन्तु रोकड बही एवं चेक निर्गत पंजिका के अनुसार केवल सम्बन्धित ठेकेदार को कटौती के उपरान्त की अवशेष धनराशि का भुगतान किया गया है जबकि शासकीय कटौतियो को सम्बन्धित मद में जमा करने के सम्बन्ध में कोई भुगतान नहीं किया गया था। इस प्रकार से उपरोक्त 10 कार्यो के सापेक्ष विक्रीकर, आयकर एवं रायल्टी की धनराशि रु0 2,60,249 कटौती किये जाने से 04 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी वास्तव में सम्बन्धित मद में जमा नही किया गया था। उक्त धनराशि को शासकीय मद में जमा नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि कार्यालय द्वारा जानबूझकर शासकीय हानि पहुचायी गयी **(विवरण संलग्न)**।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने तथ्यों को स्वीकारते हुए अपने उत्तर में अवगत कराया कि जानकारी के अभाव में उक्त कटौतियों को शासकीय प्राप्ति मद में जमा नहीं कराया गया। यह भी अवगत कराया कि प्रकरण की जाॅच कर काटी गयी राशि को सम्बन्धित मद में जमा करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

अतः शासकीय कटौतियों की धनराषि रु0 2,60,249 सम्बन्धित प्राप्ति मद में जमा नहीं किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

नगर पंचायत, नवगॉव के अन्तर्गत निर्माण कार्यो के भुगतान से काटी गयी शासकीय कटौतियों को सम्बन्धित मद में जमा न किये जाने सम्बन्धी विवरण								
Sl.No.	**Name of work**	**Contractor Name**	**Date of Payment**	**Total Payment**	**Sale tax**	**Income Tax**	**Royalty**	**Total deduction**
1	नौगाव में स्योरी रोड से मध्य सौली तक जाने वाले सी0सी0 रोड निर्माण	यशवन्त कुमार	24.08.2016	3,00,000	18,000	6,000	8,285	32,285
2	नौगाव में पुरोला रोड से मुंगरा पुल बैंड तक जाने वाले सम्पर्क मार्ग का सी0सी0 सडक निर्माण कार्य	बृजमोहन सिंह रावत	24.08.2016	1,90,000	11,400	3,800	4,589	19,789
3	नौगाव में एन एच रोड से कफोला कालोनी तक सुरक्षा दीवार तथा खडन्जा निर्माण कर्य	बृजमोहन सिंह रावत	24.08.2016	1,83,000	10,980	3,660	4,147	18,787
4	नौगाव में वचनदास क sमकान से अमीन के भवन तक सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य	जयपाल सिंह	24.08.2016	3,50,000	21,000	7,000	7,878	35,878
5	नौगाव के मुगरा गाव के अलवीर के घर से गजेन्द्र के मकान तक सुरक्षा दीवार एवं खडन्जा निर्माण	आषीश रावत	24.08.2016	1,99,000	11,940	3,980	5,906	21,826
6	नौगाव के सौली में यमुनोत्री मार्ग से श्यामलाल के भवन के आगे तक सी0सी0 निर्माण कार्य	यशवन्त कुमार	24.08.2016	1,70,000	10,200	3,400	3,993	17,593
7	नौगाव के मेन मार्ग स sविजेन्द्र डिमरी के भवन के आगे जाने वाले मार्ग का सी0सी0 निर्माण कार्य	आषीश रावत	24.08.2016	1,80,000	10,800	3,600	5,880	20,280
8	नौगाव में एन एच से में हिमाके भवन के उपर तक सी0सी0 सडक एवं रेलिंग कार्य	महिमानन्द राणा	24.08.2016	3,00,000	18,000	6,000	8,378	32,378
9	नौगॉव के मुराडी में पंचायत भवन से मनवीर के मकान तक जाने वाले सी0सी0 निर्माण कार्य	यशवन्त कुमार	24.08.2016	2,50,000	15,000	5,000	6,534	26,534
10	नौगाव मे पुल से भुरा के मकान तक सुरक्षात्मक दीवार निमार्ण	महिमानन्द राणा	24.08.2016	3,40,000	20,400	6,800	7,699	34,899
	कुल योग							**2,60,249**

भाग-2 "ब"

प्रस्तरः 02 रॉयाल्टी के सापेक्ष 25 *प्रतिशत* की धनराशि ` 149151/- की कटौती कर उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास में जमा नहीं कराया जाना।

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 1621/VII-1/2017/8 ख/16 दिनांक 17 नवम्बर 2017 के द्वारा उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली, 2017 प्रख्यापित की गई थी। यह नियमावली दिनांक 12 जनवरी 2015 को प्रवत्त हुई समझी जाएगी। उक्त नियमावली के नियम 10 (5) के अनुसार सरकारी निर्माण कार्यों में उपयोग की जाने वाली बालू, बजरी पर जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास पर सीधे जमा किए जाने पर रॉयल्टी का **25 *प्रतिशत*** अतिरिक्त रूप में जमा किया जाएगा।

कार्यालय, **अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, नौगांव, जनपद-उत्तरकाशी** के अंतर्गत कराए गए निर्माण कार्यों के नमूना लेखापरीक्षा अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान केन्द्रीय वित्त योजना, राज्य वित्त योजना एवं अवस्थापना विकास निधि आदि योजनाओं के माध्यम से कराए गए सरकारी निर्माण कार्यों के सापेक्ष ` **596605/-** की धनराशि की रॉयल्टी की कटौती कर चालान के माध्यम से राजकोष में जमा कराया गया था। उक्त रॉयल्टी की कटौती के सापेक्ष जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास को दिए जाने वाले रॉयल्टी का **25 *प्रतिशत*** अतिरिक्त रूप में जमा नहीं कराया गया था। उक्त चालानों एवं धनराशियों का विवरण **संलग्नक** में दिया गया है। आगे जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा उक्त जमा किए गए रॉयल्टी की धनराशि ` **596605/-** के सापेक्ष जिला न्यास निधि अंशदान हेतु रॉयल्टी की 25 *प्रतिशत* धनराशि ` **149151/-** संबंधित निर्माण कार्यों से की कटौती करके उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास के खाते में जमा नहीं कराया गया था।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर **अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, नौगांव, जनपद-उत्तरकाशी** ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया कि जानकारी के अभाव में उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास हेतु धनराशि नहीं काटी गई, भविष्य में रॉयाल्टी के सापेक्ष जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास हेतु कटौती सुनिश्चित किया जाएगा। इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार सरकारी निर्माण कार्यों में उपयोग की जाने वाली बालू, बजरी पर जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास पर सीधे जमा किए जाने पर रॉयल्टी का 25 *प्रतिशत* अतिरिक्त रूप में जमा किया जाना चाहिए था।

इस प्रकार, रॉयाल्टी के सापेक्ष 25 *प्रतिशत* की धनराशि ` **149151/-** की कटौती कर उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास में जमा नहीं कराए जाने संबंधी प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

"संलग्नक"

क्रम संख्या	चालान/E- Cheque संख्या	दिनांक	चालान के द्वारा जमा की गई रॉयल्टी की धनराशि	जमा की गई रॉयल्टी की धनराशि के सापेक्ष जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास को देय 25 *प्रतिशत* रॉयाल्टी की धनराशि, जो कि इकाई द्वारा जमा नहीं कराया गया था
01	PL4103809207191023	29.07.2019	20035	5008.75
02	PL4103809208191037	22.08.2019	46491	11622.75
03	PL4103809203201121	20.03.2020	16037	4009.25
04	PL4103809203201115	19.03.2020	12191	3047.75
05	PL4103809207191024	19.03.2020	13230	3307.5
06	PL4103809208191032	07.08.2019	12883	3220.75
07	PL4103809203201117	19.03.2020	16324	4081
08	PL4103809201201111	08.01.2020	16005	4001.25
09	PL4103809203201108	08.01.2020	9149	2287.25
10	PL4103809201201098	04.01.2020	7894	1973.5
11	PL4103809201201100	04.01.2020	8385	2096.25
12	PL4103809201201112	08.01.2020	13616	3404
13	PL4103809208191030	07.08.2019	8361	2090.25
14	PL4103809203201118	19.03.2020	12634	3158.5
15	PL4103809208191038	24.08.2019	16031	4007.75
16	1	06.11.2019	136775	34193.75
17	5	24.10.2018	11516	2879
18	01	03.12.2019	4618	1154.5
19	1	09.04.2019	115214	28803.5
20	4	11.10.2018	99216	24804
		कुल योग	**596605**	**149151.30**

भाग-2 "ब"

प्रस्तरः 03 निकाय क्षेत्रांतर्गत स्थापित मोबाइल टावरों से Administrative Fee तथा One-time Permission Fee की वसूली न किए जाने से राजस्व हानि।

उत्तराखण्ड शासन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अपने पत्रांक संख्या 476/XXXIV/2018-17/सू.प्रौ./2018 दिनांक 26.11.2018 के माध्यम से Uttarakhand Right of Way, 2018 को प्रख्यापित किया गया है। Uttarakhand Right of Way, 2018 के प्रस्तर 7 के अनुसार नगर निगम को अपने क्षेत्रान्तार्गत Optical Fibre Cable बिछाने तथा मोबाईल टावर स्थापित करने हेतु किए गये आवेदन पर आवेदनकर्ता को लाईसेंस प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है।

Uttarakhand Right of Way, 2018 के प्रस्तर 11.3 के अनुसार, " Every application under guidelines 11.1 shall be accompanied with a one-time non-refundable fee of INR 1,000 to meet administrative expenses for examination of the application and the proposed work. In case of Government land, annual lease rent for the space allocated for installation of Mobile tower shall be 10% of the market value of the land on 'per square meter basis'. Market value of the land will be fixed by District Collector, which shall be revised in every 5(five) years. Provided, that the Lease rental per month for Mobile Tower shall not exceed ₹ 10,000 per month.

Further, an amount of ₹ 5000/- (Rupees Five thousand only) per tower shall be collected from licensees/infrastructure providers as 'one time' permission fee besides lease rent. In the event of sharing the towers by other licensees/infrastructure Providers, each one of the licensees shall pay ₹ 5000/- (Rupees Five thousand only) as permission fees additionally. The fee so collected shall be remitted to the appropriate Account Head by the Head of office."

कार्यालय नगर पंचायत, नौगांव, के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा एक मोबाईल ऑपरेटरो से **'one time' permission fee' आदि** प्राप्त नहीं की जा रही थी। वर्तमान में निकाय क्षेत्रान्तर्गत मोबाइल टावरों की संख्या ज्ञात नहीं है और न ही इकाई द्वारा मोबाइल टावरों की संख्या ज्ञात करने हेतु कोई सर्वेक्षण करवाया गया है।

इस संबंध में इंगित करने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि कर उत्तर दिया गया कि इस संबंध में उचित कार्यवाही की जाएगी।

अतः इकाई के उत्तर से स्पष्ट है कि नगर पंचायत द्वारा अपने क्षेत्र में कुल मोबाईल टॉवरों की संख्या ज्ञात करने और उनसे वसूली हेतु कोई सर्वे नहीं किया गया जिससे संभावित राजस्व की हानि हुई।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर: 04 विभिन्न मदों में प्राप्त ` 367.95 लाख की धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/शहरी निदेशालय को प्रेषित नहीं किया जाना।

उत्तराखंड शासन द्वारा वितीए वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, 14वें वित्त आयोग, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अवस्थापना विकास निधि के अंतर्गत कार्यालय नगर पंचायत, नौगांव को निम्नलिखित धनराशि अवमुक्त किए गए थे:-

(धनराशि ` लाख में)

वित्तीय वर्ष 2017-18		
1	राज्य वित्त आयोग	12500000
2	14वां वित्त आयोग	1342000
3	स्वच्छ भारत मिशन	565980
4	प्रधानमंत्री आवास योजना	0
5	अवस्थापना विकास निधि	0
	योग	**14407980**
वित्तीय वर्ष 2018-19		
1	राज्य वित्त आयोग	5297000
2	14वां वित्त आयोग	3869000
3	स्वच्छ भारत मिशन	630000
4	प्रधानमंत्री आवास योजना	75000
5	अवस्थापना विकास निधि	0
	योग	**9871000**
वित्तीय वर्ष 2019-20		
1	राज्य वित्त आयोग	7500000
2	14वां वित्त आयोग	4834000
3	स्वच्छ भारत मिशन	860020
4	प्रधानमंत्री आवास योजना	2304000
5	अवस्थापना विकास निधि	7118000
	योग	**22616020**
	कुल योग (2017-18+2018-19+2019-20)	**46895000**

कार्यालय **अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, नौगाँव, जनपद – उत्तरकाशी** द्वारा प्राप्त किए गए उक्त धनराशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र से संबन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान प्राप्त कुल धनराशि ` **468.95 लाख** के सापेक्ष कुल धनराशि ` **101.00 लाख** के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किए गए थे। शेष धनराशि ` **367.95 लाख** के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाना लंबित था।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर **अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, नौगाँव, जनपद–उत्तरकाशी** ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया की अवशेष बची धनराशियों के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/शहरी निदेशालय को प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई को प्राप्त सभी धनरशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र संबन्धित वर्ष के अंत तक प्रेषित कर दिये जाने चाहिए थे।

इस प्रकार, विभिन्न मदों में प्राप्त ` **367.95 लाख** की धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/शहरी निदेशालय को प्रेषित नहीं किए जाने संबंधी प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर: 05 इकाई के बजट विवरण तथा बैंक खातों के अवशेषों के बीच ₹ 29,36,786 का अंतर होना तथा विभिन्न लेखाभिलेखों के बीच विसंगति पाया जाना।

Cashbook, अनुदान पंजिका, चैक निर्गत पंजिका आदि किसी भी कार्यालय के महत्वपूर्ण अभिलेख होते हैं। cashbook में सभी प्राप्तियों एवं व्ययों को उचित तरीके से दर्शाया जाना चाहिए तथा अनुदान पंजिकाओं में प्राप्त अनुदान का विवरण, प्राप्ति की तिथि, व्यय तथा अवशेष आदि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

Cashbook, अनुदान पंजिका, subsidiary cashbook आदि का बैंक खातों की धनराशियों के साथ सामंजस्य व एकरूपता होनी चाहिए और बैलेन्स शीट का उक्त के आंकड़ों के साथ तारतम्य होना चाहिए।

कार्यालय नगर पंचायत नौगांव की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि कार्यालय की कैशबुक, अनुदान पंजिका और बैलन्स शीट प्राप्तियों, व्ययों एव, अंतिम अवशेषों के बीच विसंगतियाँ विद्यमान थी जिसका विवरण निमन्वत है:-

1. वर्ष 2014-15 में अवस्थापना सुविधा मद में ₹4.5 लाख प्राप्त हुये थे परंतु तुलन पत्र में उक्त धनराशि को राज्य वित्त की धनराशि प्रदर्शित किया गया है।
2. इसके साथ ही दिनांक 31.03.2020 की cashbook, समस्त बैंक खातों के अवशेष तथा बैलेन्स शीट के अवशेष के बीच भिन्नता पायी गयी जो निमन्वत है:-

cashbook का अवशेष **₹**	28892541
बैंक खातों (पीएलए सहित) का अवशेष	30212606
बैलेन्स शीट का अवशेष	28772592
बजट विवरण का अवशेष	27275820

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि बैंक खातों और इसके सापेक्ष काशबूक, बैलेन्स शीट तथा बजट विवरण के बीच क्रमश ₹ 13,20,065, ₹ 14,40,014 एवं ₹ 29,36,786 का अंतर है जोकि लेखांकन की सही पद्धति न अपनाए जाने का द्योतक है तथा इससे वित्तीय अनिमियतता की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

3. 31 मार्च 2020 के अंत में राज्य वित्त का अवशेष पीएलए के अनुसार ₹ 11282563 है तथा केंद्र वित्त का अवशेष ₹ 1033061 है जबकि बजट विवरण तथा बैलेन्स शीट के अनुसार राज्य वित्त का अवशेष ₹ 4975129 व 4646783 तथा केंद्र वित्त का ₹8133746 व 8949133 है।
4. इकाई द्वारा वश 2018-19 से पूर्व चेक निर्गत पंजिका का रखरखाव नहीं किया गया था तथा समस्त योजनाओं का एक ही खाता संचालित किया जा रहा था। वर्तमान अवधि तक भी बोर्ड फ़ंड, ठोस अवशिष्ठ प्रबंधन का एक ही खाता संचालित किया जा रहा है।

इस संबंध में इंगित करने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि कमियों/त्रुटियों की जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

इकाई के उत्तर से स्पष्ट है कि लेखाभिलेखों का रखरखाव सही ढंग से नहीं किया गया तथा लेखाभिलेख तैयार करते समय तथ्यों एवं आंकड़ों की शुद्दता का ध्यान नहीं रखा गया। इसके कारण वित्तीय अनिमियतता की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग दो (ब)</u>

प्रस्तरः 06 अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्य के सम्पादन न हुए कार्यो की धनराषि रु0 17.76 लाख विगत 04 वर्षो से अवरुद्ध रहना।

निदेशक, शहरी विकास निदेशालय के माध्यम से शासन को प्रेषित निर्माण कार्यो के प्रस्ताव पर विचार करते हुए अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत निर्माण कार्यो के निर्माण के लिए शासन द्वारा आगणनों पर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त कर दिया जाता है। प्रत्येक शासनादेश में यह निर्देशित किया जाता है कि निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जाएगी। स्वीकृत कार्यो में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है तो उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय। निर्माण कार्य का भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को वित्तीय वर्ष के अन्त तक आवश्यक रुप से प्रस्तुत किया जाएगा।

नगर पंचायत, नवगॉव के अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो एवं अवमुक्त धनराशि से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि योजनान्तर्गत शासन से स्वीकृत धनराशि का आहरण कर कार्यालय द्वारा बोर्ड निधि के लिए संचालित बैंक खाते में ही रखा जाता है, अवस्थापना विकास निधि के लिए कार्यालय द्वारा कोई अलग बैंक खाता का रख रखाव नहीं किया जाता। आगे यह भी पाया गया कि विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से स्वीकृत निर्माण कार्यो में निम्न विवरणानुसार धनराशि रु0 17.76 लाख से निर्मित होने वाले 06 निर्माण कार्य स्वीकृत होने के 04 से अधिक का समय व्यतीत होने के उपरान्त भी निर्माण नही कराया गया था जबकि स्वीकृत कार्यो की सम्पूर्ण धनराशि इकाई को एक साथ अवमुक्त कर दी गयी थी। सम्बन्धित धनराशि इकाई के बैंक खाते में विगत 04 वर्षो से अवरुद्ध पडी है। विवरण निम्न है;

(धनराशि रु0 लाख में)

शासनादेष संख्या एवं दिनांक	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराषि	अभ्युक्ति
766/IV(2)/श.वि./2016-30(सा)–15 दिनांक 13.05. 2016	बडकोट रोड से नीचे आरा मशीन होते हुए जाने वाले मार्ग की सडक व नाली निर्माण	3.00	
1710 / IV(2) / श.वि. / 2016–30(सा)–15 दिनांक 27.09.2016	पुरोला रोड से विन्द्रा देबी के भवन तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य	2.90	
	एन एच रोड के नीचे अरविन्द पवार के पीछे व आगे पक्की दीवार	2.85	
	पी.डब्ल्यू.डी. निरीक्षण भवन के नीचे सामूहिक मार्ग की सुरक्षा दीवार	2.80	
	खेल मैदान की सुरक्षा दीवार व बाउन्डीवाल का निर्माण	2.81	

295/IV(2)/श.वि./2018 दिनांक 13.03.2018	किसान फेडरेशन शौली के पास सी0सी0 मार्ग एवं सुरक्षा दीवार निर्माण	3.40	
कुल योग		**17.76**	

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि निर्माण कार्य अवस्थापना मद में स्वीकृत होने के 04 वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त भी वर्तमान तक सम्पादित नहीं कराया गया।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि विवाद होने के कारण निर्माण कार्य सम्पादित नहीं हो सका। सम्बन्धित धनराशि शासन को यथाशीघ्र समर्पित करने के लिए कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

अतः अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्य के सम्पादन न हुए कार्यो की धनराषि रु0 17.76 लाख विगत 04 वर्षो से अवरुद्ध रहने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तरः 07 अधिप्राप्ति नियमावली का उलंघन करते हुए धनराषि रु0 485.46 के निर्माण कार्यो का सम्पादन मस्टर रोल के माध्यम से कराया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम 38 के अनुसार आपात प्रकृति के एवं छोटे कार्य जिनकी लागत रु0 15000 तक हो, का निर्माण बिना कोटेशन प्राप्त किये सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से सम्पादित कराया जा सकता है। उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति संशोधित नियमावली 2015 के नियम 39 के अनुसार बिना निविदा आमंत्रित किये कार्यादेश (वर्क आर्डर) पर आधारित निर्माण कार्य की अधिप्राप्ति सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक अवसर पर कम से कम तीन पंजीकृत ठेकेदारों से कोटेशन प्राप्त कर रु0 3.00 लाख तक लागत के कार्य करा सकता है। आपात स्थिति में बिना निविदा के माध्यम से रु0 5.00 लाख तक के कार्य कराये जा सकते है जिसके लिए समुचित कारण अभिलिखित किये जाने चाहिए।

नगर पंचायत, नवगॉव के अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत लेखापरीक्षा अवधि में सम्पादित कराये गये निर्माण कार्यो से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा अधिप्राप्ति नियमावली के उपरोक्त प्रावधानों का उलंघन करते हुए स्वीकृत लागत रु0 489.96 लाख से निर्मित होने वाले 42 कार्यो का निर्माण स्वयं के द्वारा मस्टर रोल के माध्यम से सम्पादित किया गया। इन कार्यो के निर्माण पर कुल धनराशि रु0 485.46 लाख का अनियमित व्यय किया गया (**विवरण संलग्न)**। आगे यह भी पाया गया कि अधिकतर मस्टर रोल पर माह एवं वर्ष का उल्लेख नहीं किया गया है जिससे लेखापरीक्षा में यह स्पष्ट नहीं होता कि वास्तव में उक्त कार्य का निर्माण अवधि क्या था। भुगतान के सम्बन्ध में प्रदान की गयी अनुमोदन पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि किसी भी कार्य के सापेक्ष एक प्रतिशत की लेबर सेस की धनराशि नहीं काटी गयी है और न ही उसे सम्बन्धित मद में जमा कराया गया है। उपरोक्त कार्यो में सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा धनराशि का आहरण कर सम्बद्ध मजदूरों एवं सामग्री क्रय का भुगतान नकद रुप से किया गया था।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने तथ्यों को स्वीकारते हुए अपने उत्तर में अवगत कराया तत्कालीन प्रशासक महोदय द्वारा इन कार्यो को मस्टर रोल के आधार पर सम्पादित कराया गया है परन्तु वर्तमान में सभी कार्य निविदा के माध्यम से कराया जा रहा हैं। लेबर सेस की धनराशि के कटौती के सम्बन्ध में यह अवगत कराया कि प्रकरण की पुनः समीक्षा की जायेगी तद्नुसार नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

अतः अधिप्राप्ति नियमावली का उलंघन करते हुए धनराषि रु0 485.46 के निर्माण कार्यो का सम्पादन मस्टर रोल के माध्यम से कराये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

नगर पंचायत नौगॉव, जनपद-उत्तरकाषी के अन्तर्गत अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत मस्टरोल के आधार पर सम्पादित कार्य का विवरण ।

क्र0सं0	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	व्यय	निर्माण का आधार	वर्ष
01	नगर पंचायत नौगॉव में मुराडी में चन्द्रमोहन राणा के घर के आगे सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य।	1920000-00	1920000-00	मस्टरौल	2016-17
02	नगर पंचायत नौगॉव में मुंगरा में पैट्रोल पम्प के उपर जगदीष के भवन के आगे सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य।	2680000-00	2680000-00	मस्टरौल	2016-17
03	नगर पंचायत नौगॉव में जषपाल परमार के घर से मन्दिर तक पी0सी0सी0 निर्माण कार्य।	2880000-00	2880000-00	मस्टरौल	2016-17
04	नगर पंचायत नौगॉव में प्रमोद के मकान से मन्दिर होते हुए षंकर के मकान तक सी0सी0 खडिंजा निर्माण कार्य।	2940000-00	2490000-00	मस्टरौल	2016-17
05	नगर पंचायत नौगॉव में वार्ड-1 मन्दिर से विजय के घर तक पी0सी0 खडिंजा निर्माण कार्य।	2860000-00	2860000-00	मस्टरौल	2016-17
06	नगर पंचायत नौगॉव में त्रेपन परमार के घर के नीचे खेत में सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य।	2840000-00	2840000-00	मस्टरौल	2016-17
07	नगर पंचायत नौगॉव में यमुना बैली स्कूल की सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य।	2950000-00	2950000-00	मस्टरौल	2016-17
08	नगर पंचायत नौगॉव में पुरोला रोड से क्वाडी धार तक पी0सी0 खडिंजा नाली व सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य।	2940000-00	2940000-00	मस्टरौल	2016-17
09	नगर पंचायत नौगॉव में वार्ड-1 में राजेन्द्र के घर से भजन लाल के घर तक पी0सी0 खडिंजा निर्माण कार्य।	2880000-00	2880000-00	मस्टरौल	2016-17
10	नगर पंचायत नौगॉव में यमनौत्री रोड से जयवीर के मकान तक पी0सी0 खडिंजा निर्माण कार्य।	2960000-00	2960000-00	मस्टरौल	2016-17
11	नगर पंचायत नौगॉव में महिमानन्द के मकान के आगे खड्ड पर सुरक्षात्मक निर्माण कार्य।	2900000-00	2900000-00	मस्टरौल	2016-17
12	नगर पंचायत नौगॉव सौली में सुषील के भवन से श्रीचन्द के खेत तक सुरक्षात्मक दीवार निर्माण कार्य।	1800000-00	1800000-00	मस्टरौल	2016-17
13	नगर पंचायत नौगॉव में एन0एच0 रोड से प्रताप सिह के भवन तक जाने वाले मार्ग का सी0सी0 सडक निर्माण कार्य।	2000000-00	2000000-00	मस्टरौल	2016-17
14	नगर पंचायत नौगॉव में चमनलाल के भवन से सन्तलाल के भवन तक जाने वाले मार्ग पर सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य।	1500000-00	1500000-00	मस्टरौल	2016-17
15	नगर पंचायत नौगॉव मुराडी में राकेष राणा के भवन के समीप सुरक्षात्मक दीवार निर्माण कार्य।	2500000-00	2500000-00	मस्टरौल	2016-17
16	नगर पंचायत नौगॉव मुराडी में एन0एच0रोड से राकेष मोहन राणा के भवन तक सी0सी0 सडक निर्माण कार्य।	2820000-00	2820000-00	मस्टरौल	2016-17
17	नगर पंचायत नौगॉव मुराडी मे पंचायत भवन के पीछे श्रीमती राजकुमारी के भवन के नीचे सुरक्षात्मक दीवार निर्माण कार्य।	1600000-00	1600000-00	मस्टरौल	2016-17
18	नगर पंचायत नौगॉव में मुराडी में एन0एच0 से अजय रमोला एवं गणेष भवन तक सुरक्षात्मक एवं सडक निर्माण कार्य।	190000-00	190000-00	मस्टरौल	2016-17

19	नगर पंचायत नौगॉव के देवलसारी में रूदेष्वर मन्दिर के पंचायत चौक की दर्षकदीर्घा एवं सौन्दयीकरण का कार्य।	250000-00	250000-00	मस्टरौल	2016-17
20	नगर पंचायत नौगॉव में देवलसारी खड्ड से नौगॉव जाने वाले मार्ग में सुरक्षात्मक दीवार एवं सागर के भवन के पीछे नाली निर्माण कार्य ।	150000-00	150000-00	मस्टरौल	2016-17
21	नगर पंचायत नौगॉव में धनवीर परमार के घर से नाले तक पी0सी0 खडिंजा निर्माण कार्यं।	283000-00	283000-00	मस्टरौल	2016-17
22	नगर पंचायत नौगॉव में देहली-यमुनोत्री मोटर मार्ग से नौगॉव की ओर श्री नवीन के घर तक नाली एवं पी0सी कार्य।	278000-00	278000-00	मस्टरौल	2016-17
23	नगर पंचायत नौगॉव में वार्ड-1 दीपक रमोला के मकान तक पी0सी0 खडिंजा निर्माण कार्य।	294000-00	294000-00	मस्टरौल	2016-17
24	नगर पंचायत नौगॉव में एन0एच0 रोड बैण्ड से उपर सरदार मोहल्ले तक जाने वाले मार्ग का सी0सी0 खडक कार्य।	299000-00	299000-00	मस्टरौल	2016-17
25	नगर पंचायत नौगॉव में मुलाणा से मुलाणा गॉव जाने वाले रास्ते सुरक्षात्मक एवं सी0सी0 सडक निर्माण कार्य ं	260000-00	260000-00	मस्टरौल	2016-17
26	नगर पंचायत नौगॉव में जागृति स्कुल के पास रैलिंग निर्माण कार्य एवं ज्योति के भवन तक सी0सी0 सडक सुरक्षात्मक दीवार निर्माण कार्य।	300000-00	300000-00	मस्टरौल	2016-17
27	नगर पंचायत नौगॉव में मुलाणा में सुरक्षा दीवार एवं सी0सी0 सडक निर्माण कार्य।	240000-00	240000-00	मस्टरौल	2016-17
28	नगर पंचायत नौगॉव में हरिमोहन नैगी के घर के समीप नौगॉव खड्ड में सुरक्षात्मक निर्माण कार्य।	150000-00	150000-00	मस्टरौल	2016-17
29	नगर पंचायत नौगॉव के अन्तर्गत सिला नामे तोक में प्रताप के खेत की सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य।	300000-00	300000-00	मस्टरौल	2016-17
30	नगर पंचायत नौगॉव में व्लॉक से नीचे हॉस्पिटल जाने वाले सम्पर्क मार्ग को सी0सी0 निर्माण कार्य।	250000-00	250000-00	मस्टरौल	2016-17
31	नगर पंचायत नौगॉव में मुंगरा पानी धार तक जाने वाले मार्ग का सी0सी0 खडक निर्माण कार्य।	200000-00	200000-00	मस्टरौल	2016-17
32	नगर पंचायत नौगॉव में सौली खड्ड में सी0सी0 प्लम व दीवार निर्माण कार्य।	300000-00	300000-00	मस्टरौल	2016-17
33	नगर पंचायत नौगॉव में अमीन के भवन के पीछे सुरक्षात्मक दीवार एवं सी0सी0 रास्ता निर्माण कार्य।	280000-00	280000-00	मस्टरौल	2016-17
34	नगर पंचायत नौगॉव में महावीर हॉस्पिटल के सामने से जोगेन्द सिह के भवन तक जाने वाले मार्ग का सी0सी0 सडक एवं नाली निर्माण कार्य।	200000-00	200000-00	मस्टरौल	2016-17
35	नगर पंचायत नौगॉव में एन0एच0 रोड से सौली के बाजार जगलात चौकी तक जाने वाले मार्ग में सी0सी0 सडक निर्माण कार्य।	300000-00	300000-00	मस्टरौल	2016-17
36	नगर पंचायत नौगॉव धारी में गॉव के सुरक्षा हेतु सुरक्षात्मक निर्माण कार्यं	300000-00	300000-00	मस्टरौल	2016-17
37	नगर पंचायत नौगॉव में मुलाणा में राजपाल के भवन से अनोज रावत के भवन तक सी0सी0	200000-00	200000-00	मस्टरौल	2016-17

	सडक निर्माण कार्य।				
38	नगर पंचायत नौगॉव में पानी धारा से सरस्वती इण्टर कालेज तक जाने मार्ग का सी0सी0 सडक निर्माण कार्य।	200000-00	200000-00	मस्टरौल	2016-17
39	मुराडी में मैन चौक से भगत लाल के घर तक सी0सी0 सडक निर्माण कार्य।	180000-00	180000-00	मस्टरौल	2016-17
40	नगर पंचायत नौगॉव धारी वार्ड में जलमा देवी के भवन से महेष के मकान तक सी0सी0 सडक निर्माण कार्य।	180000-00	180000-00	मस्टरौल	2016-17
41	नगर पंचायत नौगॉव में षान्तीलाल के भवन के आगे सुरक्षात्मक निर्माण कार्य।	150000-00	150000-00	मस्टरौल	2016-17
42	नगर पंचायत नौगॉव में मदाघाट से षषीमोहन के भवन तक पी0सी0सी0 खडिंजा निर्माण कार्य।	292000-00	292000-00	मस्टरौल	2016-17
	कुल योग	**48996000.00**	**48546000.00**		

भाग-III

(क) परिचयात्मकः- कार्यालय, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, नौगांव, जनपद-उत्तरकाशी के वित्तीय वर्ष 04/2014 से 03/2020 तक के लेखा-अभिलेखों की सम्प्रेक्षा श्री रविन्द्र सिंह, व. लेखापरीक्षक, श्री अशोक कुमार एवं श्री राकेश रंजन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 16.03.2021 से 20.03..2021 तक श्री राज बहादुर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी थी।

(ख) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

क्रम संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या/वर्ष	भाग 2 (अ) के प्रस्तर	भाग 2 (ब) के प्रस्तर	STAN के प्रस्तर	TAN के प्रस्तर
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा					

(ग) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या/वर्ष	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

- सामान्य -